

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष न०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4(ई)(के-306/94)/अलेसे III/185-189

दिनांक :- 31-1-2023

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश चन्द शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र योजना भवन, जयपुर के आवेदन पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-I के नियम-91 के अंतर्गत उपार्जित एवं नियम-93 के अन्तर्गत रूपान्तरित अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

क्र.स.	उपार्जित अवकाश अवधि	रूपान्तरित अवकाश अवधि (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार)	कुल दिवस
1	05.10.2021 से 19.10.2021	---	15 दिवस
2	---	20.10.2021 से 03.11.2021	15 दिवस
3	04.11.2021 से 15.11.2021	---	12 दिवस
4	---	16.11.2021 से 30.11.2021	15 दिवस
5	01.12.2021 से 21.12.2021	---	21 दिवस
6	---	22.12.2021 से 31.12.2021	10 दिवस
7	01.01.2022 से 14.01.2022	---	14 दिवस
8	---	15.01.2022 से 29.01.2022	15 दिवस
9	30.01.2022 से 31.01.2022	---	2 दिवस
10	---	01.02.2022 से 15.02.2022	15 दिवस
11	16.02.2022 से 10.03.2022	---	23 दिवस
कुल दिवस			157 दिवस

यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक :- एफ4(ई)(के-306/94)/अलेसे III/185-189

दिनांक :- 31-1-2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत उपार्जित/ रूपान्तरित अवकाश अवधि का वेतन आपके कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करते हुए नियमानुसार सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करावें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-II, जयपुर।
3. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र योजना भवन जयपुर।
4. श्री कैलाश चन्द शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र योजना भवन जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)